

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इबादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

वादीगण

1. चैनाराम पुत्र हंसाराम निवासी बालेसर दुर्गावता तहसील बालेसर जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

बनाम

1. पुजाराम पुत्र धोकलराम
2. नेमाराम पुत्र लुणाराम
3. पुष्पादेवी पत्नि गंगाराम निवासी बालेसर सत्ता तहसील बालेसर जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सोनी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 3 अधिवक्ता धर्मेन्द्र द्विवेदी उपस्थित।

मुकदमा नम्बर 50/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2015/00074

निर्णय दिनांक :- 10/6/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट (तहसीलदार बालेसर का पत्राक भू. अ./2024/1157 दिनांक 14.05.2024) पर एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा हल्का पटवारी बालेसर सत्ता एवं भू.अ. निरीक्षक खुडियाला तहसील बालेसर की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2024 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। अतः अन्तिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती :-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	चेनाराम पुत्र हंसाराम जाति माली सा. देह खातेदार	बालेसर सत्ता	838/18	0.0065	रकबा हैक्टयर मे
02	फुसादेवी पत्नी गंगाराम जाति माली सा. देह खातेदार	बालेसर सत्ता	838/18	0.0744	गे.सु. मकान

यह आज तारीख 10/6/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

वादी	राशि	खर्चा वाद प्रतिवादी	राशि
1. स्टाम्प वाद	✓	1. स्टाम्प वकालतनामा	✓
2. स्टाम्प वकालतनामा		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराय हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर